न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य, आर.ए.एस.)

दावा सं0–86/2018

प्रविष्टि दिनांक– 04.07.2018

उनवान

गोरधन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली उम्र 70 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. दीनू पुत्र श्री बलदेवा जाति माली आयु 40 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
2. केसरा पुत्र श्री बलदेवा जाति माली आयु 38 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
3. चतरा पुत्र श्री बलदेवा जाति माली आयु 30 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
4. रामफूल पुत्र श्री रोडू जाति माली आयु 42 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
5. गणेश पुत्र श्री रोडू जाति माली आयु 36 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
6. लड्डू पुत्र श्री रोडू जाति माली आयु 32 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
7. बलदेवा पुत्र श्री लक्खा जाति माली आयु 60 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री के. के. सौलंकी अभिभाषक वादी

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

निर्णय

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक : 26/07/2019

वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी काश्तकार पेशा एवं शांतिप्रिय व्यक्ति है। वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात गग्राम शकूरपुरा पटवार हल्का वजीरपुरा भू0अभि0नि0क्षैत्र कस्बा टोंक तहसील व जिला टोंक में खाता संख्या नया 41 खसरा नम्बर 99/5 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी–1 स्थित है। उक्त समस्त आराजीयात का एकमात्र मालिक, काबिज, स्वामी वादी ही है तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी वर्तमान में वादी का ही नाम अंकित है। वादी की उक्त आराजीयात बारानी–5 है तथा उक्त आराजीयात वर्तमान में सिंचित है, जो बीसलपुर कमाण्ड की भूमि है, उक्त भूमि में वादी उड़द, सरसों एवं गेहूं आदि की फसल उगाता है तथा अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में पैदावार करता है। वादी ने गत वर्ष संवत 2074 में भी अपनी उक्त भूमि में उडद एवं सरसों की फसल काश्त की थी। वादी की उक्त आराजी खसरा नम्बर 99/5 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार से कोई सम्बंध नहीं है, इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादी को उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में रंजीशवश अकारण मजाहमत करते है तथा वादी को अपने खेत में काम नहीं करने देते। वास्तविकता में प्रतिवादीगण गिरोहबन्द व्यक्ति है तथा लडाई झगडा करके वादी को डरा–धमका कर परेशान कर वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर कब्जा करने पर आमादा फसाद है, इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा, सदैव क लिये पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत

Scanned by CamScanner

है कि वह वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त आराजी खसरा नम्बर 99/5 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम शकूरपुरा तहसील व जिला टोंक में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से मजाहमत नही करे तथा वादी को फसल बोने के लिए खरारे करने, वादी को अपने खेतों में काम करने, फसल बोने एवं फसल को काटने से नहीं रोके तथा किसी भी प्रकार से वादी कके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे। प्रतिवादीगण लड़ाकू-झगड़ालू एवं सिरजोर किस्म के व्यक्ति है तथा जब भी वादी अपनी उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में फसल बोने व काटने के लिए जाता है तो प्रतिवादीगण-वादी से लड़ाई झगडा करने को तैयार हो जाते है और खुल्लम-खुल्ला ऐलानियां कहते है कि उक्त जमीन पर हम कब्जा कर रहेंगे और वादी को काश्त करने नहीं देगें। इस कारण प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वादी को अपार, अपरिमित एवं अकथनिय हानि होगी तथा प्रतिवादीगण अपने नाकाम मंसूबो में कामयाब हो जायेगें तथा मौके पर झगडे-फसाद होगे और अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा वादी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से वंचित हो जायेगा।डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा-हमेशा (सदैव) के लिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाये कि वह स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर-चाकर, रिश्तेदार या किसी भी अन्य व्यक्ति के जरिये वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 99/5 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा खाता संख्या 41 वाके ग्राम शकूरपुरा पटवार हल्का वजीरपुरा भू0अभि0नि0क्षैत्र0 कस्बा टोंक तहसील व जिला टोंक राज0 में किसी भी प्रकार से मजाहमत एवं मदाखलत उत्पन्न नहीं करे तथा वादी को अपनी उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में खरारे करने एवं फसल बोने से नहीं रोके तथा वादी की खातेदारी की भूमि में कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें एवं हमेशा के लिए पाबंद रहें। वादी ने आपने वादपत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संवत 2073-76, खसरा गिरदावरी 2073-76 एंव लगान रसीद पेश की गयी।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने के एक तरफा कार्यवाही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने अपने दावे को साबित करने के लिए पीडब्ल्यू-1 गोरधन का शपथ-पत्र पेश किया।

हमने लायक वकील की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य दस्तारवेजो का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण का वादी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। इसके बावजूद यदि वे उसकी खातेदारी भूमि में मजाहमत मदाखलत करते है तो यह किसी भी दृष्टि से जायज नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषोधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है।

आदेश

फलतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा-हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 99/5 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके शकूरपुरा पटवार हल्का वजीरपुरा तहसील व जिला टोंक में किसी भी प्रकार से मजाहमत एवं मदाखलत उत्पन्न नहीं करे तथा वादी को अपनी उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में खरारे करने एवं फसल बोने से नहीं रोके तथा वादी की खातेदारी की भूमि में कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें एवं ना ही करावें, पाबंद रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज०)

Scanned by CamScanner

यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राज0)

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम टोंक व अलजाम जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

गोरधन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माली उम्र 70 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. दीनू पुत्र श्री बलदेवा जाति माली आयु 40 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
2. केशरा पुत्र श्री बलदेवा जाति माली आयु 38 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक
3. चतरा पुत्र श्री बलदेवा जाति माली आयु 30 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक
4. रामफूल पुत्र श्री रोडू जाति माली आयु 42 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
5. गणेश पुत्र श्री रोडू जाति माली आयु 36 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
6. लड्डू पुत्र श्री रोडू जाति माली आयु 32 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक (राज0)
7. बलदेवा पुत्र श्री लक्खा जाति माली आयु 60 वर्ष निवासी नेनसुख की बगीया, टोंक तहसील व जिला टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

फलतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 99/5 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा वाके शकूरपुरा पटवार हल्का वजीरपुरा तहसील व जिला टोंक में किसी भी प्रकार से मजाहमत एवं मदाखलत उत्पन्न नहीं करे तथा वादी को अपनी उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में खरारे करने एवं फसल बोने से नहीं रोके तथा वादी की खातेदारी की भूमि में कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करें एवं ना ही करावें, पाबंद रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26/03/2019 को जारी किया गया।

मोहर (उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.))

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	शून्य	शून्य
मीजान			मिज़ान		

उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner